भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1137
सोमवार, 10 मार्च, 2025 (19 फाल्गुन, 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

देश में पायलट प्रशिक्षण संबंधी बाधाएं

1137 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण विमानों की कमी के कारण पायलट प्रशिक्षण में होने वाली देरी पर ध्यान दिया है;

(ख) वर्तमान में, प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान करने में लगने वाले 8 से 10 महीने के समय को कम करने के लिए और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या प्रशिक्षण में देरी को दूर करने के लिए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) परीक्षाओं की आवृत्ति और पहुंच बढ़ाने की योजना है; और

(घ) देश में पायलट प्रशिक्षण में तेजी लाने के लिए अवसंरचना को बढ़ाने और प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) देश में विमानन क्षेत्र के तेजी से विस्तार और हितधारकों की आवश्यकताओं के कारण कुशल पायलटों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए अनुदेशकों और प्रशिक्षण विमानों की कमी, यदि हो, को दूर करने के लिए समय-समय पर पायलट प्रशिक्षण में सुधार के लिए पहल करता है।

अनुदेशकों को प्रमाणित करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(i) नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर), खंड 7, श्रृंखला I, भाग V (अंक-II, संशोधन 08 दिनांक 03.01.2025) में संशोधन ताकि अधिक सुदृढ़ पायलट प्रशिक्षण तंत्र सुनिश्चित किया जा सके। संशोधित सीएआर 7/I/V में शामिल कुछ पहलू इस प्रकार हैं-

1) परीक्षक कार्य को सीएफआई/ उप सीएफआई की भूमिका से अलग कर दिया गया है।

2) फ्लाइट अनुदेशक रेटिंग जारी करने के लिए जांच की जिम्मेदारी वापस उद्योग (एफटीओ) को सौंप दी गई है।

3) परीक्षक विशेषाधिकारों वाले उप सीएफआई को अब एएफआईआर अनुदेशक प्रशिक्षण और जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है।

4) एफटीओ बदलते समय सीएफआई/उप सीएफआई के लिए मौखिक परीक्षा की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

5) सीएफआई, उप सीएफआई और डीई के लिए मौखिक परीक्षा के दूसरे प्रयास में भाग लेने के लिए अंतराल (कूल-ऑफ) अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

(ii) फ्लाइट अनुदेशक (एफआई) और सहायक फ्लाइट अनुदेशक (एएफआई) के लिए मौखिक बोर्ड अब प्रत्येक महीने आयोजित किए जा रहे हैं।

(iii) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश भर में पायलट प्रशिक्षण के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) द्वारा 33 विमानों को शामिल करने की सुविधा प्रदान की है, जिससे वर्ष 2024 में एफटीओ में कुल विमानों की संख्या 318 हो जाएगी।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), आईसीएओ अनुलग्नक 1 और वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के आधार पर पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है।

(ग) वर्तमान में, आवृत्ति बढ़ाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि डीजीसीए ने दिसंबर, 2021 से वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) परीक्षा की आवृत्ति को पहले ही एक वर्ष में 04 बार से बढ़ाकर 12 बार कर दी है। इसलिए, मासिक आधार पर परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं।

सीपीएल परीक्षाएं और पायलट प्रशिक्षण एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, और महत्वाकांक्षी पायलट विलंब को कम करने के लिए, अपनी पसंद के अनुसार इन दोनों में से किसी एक को अलग से कर सकते हैं।

(घ) वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) की स्थापना के लिए विस्तृत अपेक्षाएँ सीएआर, खंड 7, शृंखला घ, भाग I में निर्धारित की गई हैं।

भारत में पायलट प्रशिक्षण अवसंरचनाओं और प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(i) देश में प्रशिक्षित पायलटों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने उदारीकृत एफटीओ दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें हवाईअड्डा रॉयल्टी (एफटीओ द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को राजस्व हिस्सेदारी भुगतान) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराए को व्यापक स्तर तक युक्तिसंगत बनाया गया है।

(ii) वर्ष 2021 और 2022 में, एएआई ने दस हवाईअड्डों पर पंद्रह एफटीओ स्लॉट प्रदान किए हैं, जिनमें से ग्यारह एफटीओ स्लॉट प्रचालनरत हैं।

(iii) डीजीसीए ने उड़ान अनुदेशकों को एफटीओ में उड़ान परिचालन को अधिकृत करने का अधिकार देने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है। यह अब तक केवल मुख्य उड़ान अनुदेशक (सीएफआई) या उप सीएफआई तक ही सीमित था। इससे एफटीओ में उड़ान के घंटे और विमान के उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी और सीपीएल अपेक्षाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।

(iv) पायलट प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने और पायलट प्रशिक्षण अवसंरचना के विस्तार की सुविधा के लिए, वर्ष 2024 में डीजीसीए ने 4 एफटीओ को अनुमोदन प्रदान किया है। वर्तमान में, देश में 58 स्थलों पर 38 एफटीओ प्रचालनरत हैं।
